# POLICE COMMISSIONERATE

# GAUTAM BUDH NAGAR

## सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति – दिनाकं 22.04.2024

**1.थाना बिसरख पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित/ 25 हजार रूपये के इनामी बदमाश के साथ हुयी पुलिस मुठभेड**

**कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 22.04.2024** को थाना बिसरख पुलिस द्वारा एक मूर्ति चौराहे पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति बिना नम्बर प्लेट की मो0सा0 पर सवार होकर गैलेक्सी वेगा गोलचक्कर की तरफ से आ रहा था। जिसको रूकने का इशारा किया गया जो नहीं रुका और तेजी से कट मारकर सर्विस रोड पर चार मूर्ति की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ भागने लगा। बदमाश होने के शक पर पीछा किया गया तो मो0सा0 सवार युवक द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से अवैध असलाह से फायर किया गया। आगे से पुलिस टीम को आता देख मो0सा0 सवार बदमाश मो0सा0 छोड़कर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ हेतु की गयी जवाबी कार्रवाई में बदमाश नाजिम पुत्र मोहम्मद निवासी ग्राम खरदोनी शेखपुर थाना इंचोली जिला मेरठ उम्र 23 वर्ष पैर में गोली लग जाने से घायल हो गया। घायल बदमाश को इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया गया। घायल बदमाश के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक मो0सा0 रजि0 नं0 यूपी 81 सीसी 0445 (ऐप द्वारा चैचिस नम्बर से रजि0 न0ः ज्ञात हुआ) बरामद हुए है।
अभियुक्त व उसके साथी दिनांक 31.03.2024 को शराब खरीदने नये हैबतपुर के ठेके पर गये लेकिन सैल्समेन ने शराब देने से मना कर दिया। इस पर अभियुक्त व उसके साथियों को गुस्सा आ गया और उन्होनें सेल्समेन की गोली मारकर हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गये। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना बिसरख पर मु0अ0स0-244/24 धारा 302/504 भादवि पंजीकृत है। मुठभेड मे घायल हुए अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध कई मुकदमे दर्ज है।

**आपराधिक इतिहास का विवरण--**

1. मु0अ0सं0-244/2024 धारा147/148/149/34/302/504 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0-258/2022 धारा 392 भादवि थाना इंचोली जनपद मेरठ।
3. मु0अ0सं0-456/2022 धारा 392/411 भादवि थाना इंचोली जनपद मेरठ।
4. मु0अ0सं0-362/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इंचोली जनपद मेरठ।
5. मु0अ0सं0-414/2022 धारा 354घ/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना इंचोली जनपद मेरठ।

**2. थाना सेक्टर-63, नोएडा पुलिस द्वारा अवैध शराब की बिक्री करने वाले 03 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 20 पेटी अवैध शराब हरियाणा मार्का (कीमत करीब 60,000/रूपये) एवं अवैध शस्त्र तथा घटना में प्रयुक्त ऑटो बरामद।**

**कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 22.04.2024** को थाना सेक्टर-63, नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलीजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर 03 शराब तस्कर/अभियुक्तगण 1-राजवीर पुत्र राम स्वरूप 2-मंगल पुत्र विनोद 3-नरेन्द्र उर्फ बन्टी पुत्र राजाराम 62 गोल चक्कर अण्डरपास के कोने से 20 पेटी अवैध शराब हरियाणा मार्का सहित **गिरफ्तार** किया गया तथा अभियुक्त राजवीर के कब्जे से 01 तमंचा 12 बोर मय एक जिंदा कारतूस 12 बोर तथा अभ्युिक्त मंगल व नरेन्द्र के कब्जे से एक-एक नाजायज चाकू बरामद किया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं उनसे बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सेक्टर-63, नोएडा पर मु0अ0सं0 195/24 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व 3/4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--**

1. राजवीर (उम्र 25 वर्ष) पुत्र राम स्वरूप मूल निवासी ग्राम पनारी थाना पाली, जनपद हरदौई हाल पता खोड़ा कालोनी एसएमएस स्कूल के पास थाना खोड़ा, जनपद गाजियाबाद
2. मंगल (उम्र 24 वर्ष) पुत्र विनोद निवासी मैलई थाना जसवन्तनगर, जनपद इटावा हाल पता खोड़ा कालोनी 21 नम्बर टंकी के पास थाना खोड़ा, जनपद गाजियाबाद
3. नरेन्द्र उर्फ बन्टी (उम्र 19 वर्ष) पुत्र राजाराम मूल निवासी आसकपुर थाना फैजगंज बैटा जनपद बदायु हाल पता खोड़ा कालोनी नियर इण्डियन स्कूल थाना खोड़ा, जनपद गाजियाबाद

**अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास--**

**अभियुक्त राजवीर उपरोक्त--**

1. मु0अ0सं0 195/2024 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना सेक्टर-63, नोएडा
2. मु0अ0सं0 249/2021 धारा 379/411 भादवि थाना इन्द्रिापुरम, जनपद गाजियाबाद

**अभियुक्त मंगल उपरोक्त--**

1. मु0अ0सं0 195/2024 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना सेक्टर-63, नोएडा

**अभियुक्त नरेन्द्र उर्फ बन्टी--**

1. मु0अ0सं0 195/2024 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना सेक्टर-63, नोएडा

**बरामदगी का विवरण--**

1. 20 पेटी बैस्टो विस्की अवैध शराब हरियाणा मार्का (कीमत करीब 60,000/रूपये)
2. 01 तमंचा 12 बोर मय एक जिंदा कारतूस 12 बोर
3. 02 चाकू नाजायज
4. घटना में प्रयुक्त ऑटो नं0 यूपी 14 एफटी 3384